

(चन्द्रशेखर )

तहसीलदार, सूरजगढ़

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़ जिला झुन्झुनु

पीठासीन अधिकारी : चन्द्रशेखर

मिसल नं.-

60/2024

सरकार

बनाम

विकास, वीरसिंह, राजवीर पुत्र जागेराम,  
जाति - जाट निवासी - स्वामीसेही

**किस्म मुकदमा-अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956**

**निर्णय दिनांक: 18.06.24**

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल विकास, वीरसिंह, राजवीर पुत्र जागेराम जाति जाट, निवासी स्वामीसेही द्वारा रोही मौजा की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 347 किस्म गै. मू जोहड़ कुल रकबा 39.07 है. किस्म गै. मु. जोहड़ में से 0.02 है. बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान रूपेण कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे।। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

sh  
तहसीलदार सूरजगढ़